राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

प्रभुदयाल बनाम सुखदेव

तारीख हुक्म	246/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 15/04/2026 को पेश हो।	
15/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। सक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 01/04/2019 पारित करते हुये विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 183 व 184 वाके ग्राम हाथोज, तहसील जयपुर स्थित आराजी का उभयपक्षकारान की मौजूदगी में मुताबिक रिकार्ड व कब्जे अनुसार एवं राजस्थान काश्तकारी विभाजन के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुये कुर्रजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 13/05/2019 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील से प्राप्त कुर्रेजात का समुचित अध्ययन कर सही रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से सहखातेदारान/पक्षकारान के मध्य विभाजन किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती । कानूनन भी विभाजन एक अनिवार्य एवं आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उद्धरित की गयी तकनीकी आपत्ति के आधार पर निरस्त किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझा जाता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13/05/2019 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर